न्यायालय-धर्मेन्द्र खण्डायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)

<u>दां0प्र0क0-348 / 2017</u> <u>संस्था0दि0-31.12.2007</u> फाईलिंग नं0-909 / 2017

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— पुलिस थाना—आमला, जिला बैतूल (म०प्र0)।

—–अभियोजन

विरुद्ध

भोबा पिता परम गोंड, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम—उमरघोड़, थाना नयागांव, जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)।

---अभियुक्त

// <u>निर्णय//</u> (आज दिनांक 14/05/2018) को घोषित)

- 1. अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा—379 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने घटना दिनांक 30/12/2007 को समय 12.30 बजे करीब में, स्थान ग्राम रमली स्थित सोनी कृषि फार्म में फरियादी हुकुमचंद के आधिपत्य में से दो बैल कीमती 20,000/—रूपये उसकी अनुमित के बिना बेईमानी पूर्वक प्राप्त करने के आशय से ले जाकर चोरी कारित की।
- 2. अभियोजन पक्ष कथन का सार है कि घटना दिनांक 30.12.2007 को फरियादी हुकुमचंद सोनी के खेत के घर में बाहर बंधे हुए दो बैल कीमती 20,000 / रूपये रात्रि करीब 8:30 बजे आरोपी भोबा पिता परम गोंड ने चुरा लिया लिया जिसे ले जाते हुए फरियादी हुकुमचंद एवं संतोष ने पकड कर थाने पर बैलो सिहत पकड़कर पेश किया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क0 499 / 2007 पंजीबद्ध किया गया था। प्रथम सूचना रिपार्ट प्र0पी0—1 है। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण कर मौका नक्शा बनाया गया। अभियुक्त से साक्षीगण के समक्ष जप्ती की कार्यवाही कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया एवं शेष अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया

गया।

3. अभियुक्त को आरोप पत्र पढ़कर सुनाए जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया और विचारण की मांग की। धारा 313 द0प्र0 सं0 के अंतर्गत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया है एवं झूठा फंसाया जाने का अभिकथन किया है।

4. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

— क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 30/12/2007 को समय 12.30 बजे करीब में, स्थान ग्राम रमली स्थित सोनी कृषि फार्म में फरियादी हुकुमचंद के आधिपत्य में से दो बैल कीमती 20,000/—रूपये उसकी अनुमति के बिना बेईमानी पूर्वक प्राप्त करने के आशय से ले जाकर चोरी कारित की ?

सकारण — निष्कर्ष विचारणीय बिन्दु का निराकरण :—

- 5. अभियोजन की ओर से प्रार्थी साक्षी के तौर पर परीक्षित साक्षी हुकुमचंद अ0सा—1 ने अपने न्यायालीन साक्ष्य में न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहंचानने से इंकार करते हुए यह अभिकथित किया है कि उसकी खेत के घर में जब उसके बंधे हुए बैल नहीं मिल तो उसने थाना में प्र0पी0—1 की रिपोर्ट की थी, जिस पर उसकी ओर से अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है। रिपोर्ट के 2—3 घंटे बाद ही उसके बैल मिल गये जो छुटकर रोड पर चर रहे।
- 06. अभियोजन कथा का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन ने उसे पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी इस साक्षी ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं करते हुए प्र0पी0—1 की रिपोर्ट नहीं लेख कराना कहा है, साथ ही पुलिस ने उक्त रिपोर्ट कैसे लिख ली कारण नहीं बताया जाना कहा है। इस साक्षी ने प्र0पी0—2 के अ से अ भाग के कथन पुलिस के दिये जाने इंकार किया है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को अभियुक्त का नाम भोबा बताया था।
- 07 प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को नामजद रिपोर्ट लेख नहीं करायी थी।

08. अभियोजन की ओर से जप्ती गिरफ्तारी के साक्षी के तौर पर परीक्षित साक्षी विष्णु अ0सा0—2, और विजय अ0सा0—4 ने अपने न्यायालीन साक्ष्य में न्यायालय उपस्थित अभियुक्त को पहंचानने से इंकार किया है। और जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही उनके समक्ष किये जाने से पूर्णतः इंकार किया है। साथ ही इन दोनों ही साक्षीगण विष्णु अ0सा0—2, और विजय अ0सा0—4 ने पुलिस के द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ किये जाने से पूर्णतः इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथा का समर्थन नहीं करने पर पक्षविरोधी घोषित कर कूटपरीक्षित किया। कूटपरीक्षित में इस साक्षीगण ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

09— अभियोजन साक्षी मौजी अ0सा0—3 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे प्रकरण में कोई जानकारी नहीं है।

10— प्रकरण में अभियोजन की और से विवेचक साक्षी का परिक्षित नहीं कराया गया है।

11— उपरोक्त साक्ष्य मेरे समक्ष ये तथ्य आये है कि अभियोजन की ओर से स्वयं प्रार्थी साक्षी के तौर पर परिक्षित साक्षी हुकुमचंद अ०सा०—1 ने एवं जप्ती एवं गिरफ्तारी के तौर पर परीक्षित साक्षी विष्णु अ०सा०—2 एवं विजय अ०सा०—4 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभिलेख पर प्रश्नगत् घटना अभियुक्त भोबा द्वारा कारित की गई थी। अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। तब फिर अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया सकता है।

12— अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के निष्कर्ष से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे आरोपित अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 30/12/2007 को समय 12.30 बजे करीब में, स्थान ग्राम रमली स्थित सोनी कृषि फार्म में फरियादी हुकुमचंद के आधिपत्य में से दो बैल कीमती 20,000/—रूपये उसकी अनुमति के बिना बेईमानी पूर्वक प्राप्त करने के आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः अभियुक्त को भा0दं0सं0 की धारा 379 के दण्डनीय अपराध के अधीन दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13. अभियुक्त के पूर्व जमानत मुचलके भारमुक्त कर उन्मोचित

--- **4** --- <u>दां0प्र0क 0-348 / 2017</u>

किये जाते है।

14— प्रकरण में जप्तशुदा दो सफेद बैल कीमती 20,000/— हजार रूपये इसके पूर्व स्वामी हुकुमलाल की सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने की दशा मे इसका निराकरण मान0 अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

15— अभियुक्त के द्वारा प्रकरण के लंबित अवस्था में निरोधावधि में रहा हो, तो इस संबंध में 428 द0प्र0सं0 प्रावधान के अधीन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(धर्मेन्द्र खण्डायत) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला

धर्मेन्द्र खण्डायत) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला